भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 84*

जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025/3 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित राजसहायता योजना

84*. श्री लुम्बाराम चौधरी:
श्री बिद्युत बरन महतो:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान पोषक तत्व-आधारित राजसहायता (एनबीएस) योजना के अंतर्गत उर्वरकों के लिए कुल कितनी राजसहायता प्रदान की गई;
(ख) राजस्थान के जालौर और सिरोही जिलों सहित विभिन्न क्षेत्रों में किसानों को किफायती दर पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ग) क्या उर्वरक वितरण अथवा राजसहायता संबंधी दावों में कोई अनियमितताएं हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

'उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित राजसहायता योजना' के संबंध में श्री लुम्बाराम चौधरी तथा श्री बिद्युत बरन महतो द्वारा पूछे गए दिनांक 25.07.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 84* के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): विगत तीन वित्तीय वर्षों (2022-23 से 2024-25 तक) के दौरान पोषकतत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम के तहत उर्वरकों के लिए प्रदान की गई कुल सब्सिडी का ब्यौरा इस प्रकार है:

(राशि करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	सब्सिडी स्कीम		सकल योग
	आयातित पीएंडके	स्वदेशी पीएंडके	
2022-23	36032.56	50089.67	**86122.23**
2023-24	28929.57	36270.00	**65199.57**
2024-25	18800.00	34010.00	**52810.00**
सकल योग			**204131.80**

(ख): राजस्थान सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों में किसानों को उर्वरकों की समय पर उपलब्धता तथा वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने एक संरचित तथा गहन निगरानी वाली प्रणाली स्थापित की है। प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू), राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है। इसके आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना के जरिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का आवंटन करता है और उपलब्धता की नियमित रूप से निगरानी करता है। देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक वेब-आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है तथा समन्वय को बेहतर बनाने और आपूर्ति संबंधी किसी भी उभरते मुद्दे का समाधान करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) और उर्वरक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य कृषि अधिकारियों के साथ नियमित साप्ताहिक वीडियो कान्फ्रेंस की जाती हैं। जबकि उर्वरक विभाग राज्य स्तर तक उर्वरकों की उपलब्धता और संचलन की देखरेख करता है, जालौर और सिरोही जैसे जिलों सहित राज्य के भीतर वितरण का प्रबंधन संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

खरीफ-2025 (01.04.2025 से 22.7.2025 तक) हेतु राजस्थान राज्य में उर्वरकों की उपलब्धता का ब्यौरा:-

चल रहे खरीफ 2025 मौसम (22.07.2025 तक) के दौरान राजस्थान राज्य में यूरिया, डीएपी और एनपीकेएस की उपलब्धता पर्याप्त रही है। 22.07.2025 तक, राजस्थान राज्य में 5.52 एलएमटी की आनुपातिक आवश्यकता के मुकाबले 8.75 एलएमटी यूरिया उपलब्ध कराया गया है। हालाँकि, उक्त अवधि में यूरिया की बिक्री केवल 6.39 एलएमटी रही

है और राज्य के पास 2.36 एलएमटी यूरिया का अंतिम स्टॉक है। इसके अलावा, 22.07.2025 तक, राजस्थान राज्य में 2.99 एलएमटी की आनुपातिक आवश्यकता के मुकाबले 2.27 एलएमटी डीएपी उपलब्ध कराया गया है। हालाँकि, उक्त अवधि में डीएपी की बिक्री केवल 1.66 एलएमटी रही है और राज्य के पास 0.61 एलएमटी का अंतिम स्टॉक है। इसके अलावा, 22.07.2025 तक, राजस्थान राज्य में 0.68 एलएमटी की आनुपातिक आवश्यकता के मुकाबले 1.59 एलएमटी एनपीकेएस उपलब्ध कराया गया है। हालाँकि, उक्त अवधि में एनपीकेएस की बिक्री केवल 0.85 एलएमटी रही है और राज्य के पास एनपीकेएस का 0.74 एलएमटी का अंतिम स्टॉक है।

राजस्थान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, खरीफ-2025 (1.04.2025 से 20.07.2025 तक) हेतु उर्वरकों की उपलब्धता (जालौर और सिरोही में) का ब्यौरा:-

राज्य	**जिला**	**यूरिया**		**डीएपी**		**एनपीके**	
		आपूर्ति की गई मात्रा (एमटी में)	**उपलब्ध मात्रा (एमटी में)**	**आपूर्ति की गई मात्रा (एमटी में)**	**उपलब्ध मात्रा (एमटी में)**	**आपूर्ति की गई मात्रा (एमटी में)**	**उपलब्ध मात्रा (एमटी में)**
राजस्थान	**जालौर**	9710	5710	3837	1198	4753	3320
राजस्थान	**सिरोही**	7058	5710	381	90	2140	1808

ये आंकड़े दूरदराज के जिलों सहित सभी क्षेत्रों में किसानों के लिए उर्वरकों का पर्याप्त और एक समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों को दर्शाते हैं।

(ग): उर्वरक वितरण या सब्सिडी दावों में अनियमितताओं की कोई सूचना नहीं मिली है।

****